

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/255
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00223
CICOM/R/2018/00767

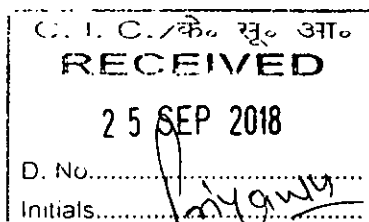
दिनांक: 25.09.2018

अपीलकर्ता : श्री भागीरथ सिंह सोढा,
पुत्र - श्री सूरजमाल सिंह,
माजीसा बास, नवल सागर कुंए के पास,
गवर्मेट प्रेस रोड, बीकानेर,
राजस्थान - 334001.

निर्णय की तारीख: 25.09.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.07.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	16.08.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	11.09.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	451/20.09.2018 (3002/19.09.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.07.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/VS/A/2015/000827 तथा CIC/AB/A/2016/001143 के संदर्भ में दिनांक 07.02.2017 एवं 03.01.2018 को प्रेषित परिवार पर की गई कार्यवाही से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. प्रथम अपील निपटाने के क्रम में मामले से संबंधित पूर्ण जानकारी हेतु श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को बुलाया गया जिन्होंने स्पष्ट किया कि द्वितीय अपील सं. CIC/VS/A/2015/000827 तथा CIC/AB/A/2016/001143 का अनुपालन संबंधित प्रतिवादी द्वारा किया जा चुका है एवं संबंधित प्रतिवादी द्वारा उक्त दोनों द्वितीय अपीलों के अनुपालन में उपलब्ध करवाए गए दस्तावेज भी अपीलकर्ता को प्रेषित की जा चुकी है एवं उक्त द्वितीय अपीलों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही शेष नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00767/287 दिनांक 16.08.2018 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
4. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



रा. के. सिंह
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, के.सू.आ., नई दिल्ली।

1/
Am
25/09/18